

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 17 अगस्त, 2021

विषय- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० कानपुर द्वारा जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत फतेहपुर-जोनिहा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी० स्टोन संख्या-14.200 के मध्य बांयी पटरी पर गाटा संख्या-1502 ग्राम असवार तारापुर परगना फतेहपुर जिला फतेहपुर में रिटेल आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.08047 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/Approach/48833/2020)


महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8बी/यू०पी०/०६/७४/२०२१/एफ०सी०/१३५२, दिनांक 23.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आपत्तियों का निराकरण करते हुए सूचनार्थ उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-522/11-सी-एफपी/यूपी/Approach/48833/2020, दिनांक 12.08.2021 द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए सूचनाएं शासन को उपलब्ध करायी गई है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 12.08.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना/अभिलेख प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,



(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर० पी० सिंह)
अनु सचिव।